निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1948 (श0)
(सं0 पटना 850) पटना, बुधवार, 22 जुलाई 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना
21 जुलाई 2026

एस० ओ० 142, दिनांक 22 जुलाई 2026––मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 53 की उपधारा 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल संहिता के प्रयोजनार्थ उन स्थापनाओं के लिए श्रमायुक्त, बिहार/अपर श्रमायुक्त/सभी संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार को जाँच गठित करने एवं जुर्माना लगाने के लिए पदाधिकारी नियुक्त करते हैं, जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है।

2. यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं० 01/Code onWages-10-01/2025–136/श्र०सं०)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

21 जुलाई 2026

एस० ओ० 143, एस० ओ० 142 दिनांक 22 जुलाई 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/Code onWages-10-01/2025–137/श्र०सं०)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

The 21st July 2026

S. O. 142, dated 22nd July 2026.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 53 of the Code on Wages, 2019 (Act No. 29 of 2019), the Governor of Bihar is pleased to appoint the Labour Commissiioner, Bihar/Additinal Labour Commissioner/All Joint Labour Commissioner as the officer for the purposes of the Code to conduct inquiries and impose penalties in respect of establishments for which the State Government is the appropriate Government.

2. This notification will come into force from the date of its publication in the Bihar Gazette.

(No. 01/Code onWages-10-01/2025-136/ L.R.)
By The order of the Governor of Bihar,
Upendra Prasad,
***Special Secretary to the Government*.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 850-571+200-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1948 (श0)
(सं0 पटना 849) पटना, बुधवार, 22 जुलाई 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना

21 जुलाई 2026

एस० ओ० 140, दिनांक 22 जुलाई 2026— मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 49 की उपधारा 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल संहिता की धारा 45(1) के अन्तर्गत नियुक्त प्राधिकार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई हेतु श्रमायुक्त, बिहार/अपर श्रमायुक्त/सभी संयुक्त श्रमायुक्त को अपीलीय प्राधिकार नियुक्त करते हैं।

2. यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं० 01/Code onWages-10-01/2025–134/श्र०सं०)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

21 जुलाई 2026

एस० ओ० 141, एस० ओ० 140 दिनांक 22 जुलाई 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/Code onWages-10-01/2025–135/श्र०सं०)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

The 21st July 2026

S. O. 140, dated 22nd July 2026— In exercise of the powers conferred by sub-section 1 of section 49 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019), the Governor of Bihar is pleased to appoint the Labour Commissiioner, Bihar/ Additional Labour Commissioner/ All Joint Labour Commissioner as the appellate authority to hear cases against the orders passed by the authority appointed under section 45(1) of the Code.

2. This notification will come into force from the date of its publication in the Bihar Gazette.

(No. 01/Code onWages-10-01/2025-134/ L.R.)
By The order of the Governor of Bihar,
Upendra Prasad,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 849-571+200-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1948 (श0)
(सं0 पटना 848) पटना, बुधवार, 22 जुलाई 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना
21 जुलाई 2026

एस० ओ० 138, दिनांक 22 जुलाई 2026— मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल संहिता की धारा 3 के प्रयोजनार्थ समान अथवा समरूप कार्यों के निर्धारण संबधित विवाद के निष्पादन हेतु श्रमायुक्त, बिहार/अपर श्रमायुक्त, बिहार/सभी संयुक्त श्रमायुक्त को बिहार राज्य में स्थित उन प्रतिष्ठानों के संबंध में जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है, के लिए प्राधिकार नियुक्त करते हैं।

2. यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं० 01/Code onWages-10-01/2025–132/श्र०सं०)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

21 जुलाई 2026

एस० ओ० 139, एस० ओ० 138 दिनांक 22 जुलाई 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/Code onWages-10-01/2025–133/श्र०सं०)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

The 21st July 2026

S. O. 138, dated 22nd July 2026— In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Code on Wages, 2019 (Act No. 29 of 2019), the Governor of Bihar is pleased to appoint the Labour Commissioner, Bihar/Additional Labour Commissiner, Bihar/All Joint Labour Commissiner as the Authority for the purposes of Section 3 of the Code to decide disputes relating to the determination of the same or similar nature of work, in respect of establishments situated in the State of Bihar for which the State Government is the appropriate Government.

2. This notification will come into force from the date of its publication in the Bihar Gazette.

(No. 01/Code onWages-10-01/2025-132/ L.R.)
By The order of the Governor of Bihar,
Upendra Prasad,
***Special Secretary to the Government*.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 848-571+200-डी०टी०पी०।
Website: https://egazette.bihar.gov.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1948 (श0)

(सं0 पटना 847) पटना, बुधवार, 22 जुलाई 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना

21 जुलाई 2026

एस० ओ० 136, दिनांक 22 जुलाई 2026— मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 51 की उपधारा 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल संहिता के प्रयोजनार्थ संहिता की धारा 51 की उपधारा 6 के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु निम्न दी गयी सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लेखित पदाधिकारियों को उनके सामने स्तम्भ 3 विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित उन प्रतिष्ठानों के संबंध में जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है, के लिए निरीक्षक–सह–सुकारक नियुक्त करते हैं।

सारणी

क्रम संख्या	**पदाधिकारी**	**क्षेत्राधिकार**
1	**2**	**3**
1	श्रमायुक्त, बिहार	सम्पूर्ण बिहार
2	सभी जिलाधिकारी	जिलों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत
3	अपर श्रमायुक्त, बिहार	सम्पूर्ण बिहार
4	सभी संयुक्त श्रमायुक्त	सम्पूर्ण बिहार
5	मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार	सम्पूर्ण बिहार **(केवल कारखानों के लिए एवं संहिता के अध्याय– IV को छोड़कर)**
6	उप श्रमायुक्त, पटना	पटना, नालन्दा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर
7	उप श्रमायुक्त, गया	गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, नवादा
8	उप श्रमायुक्त, मुंगेर	मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई

9	उप श्रमायुक्त, बेगूसराय	बेगूसराय, खगड़िया,
10	उप श्रमायुक्त, भागलपुर	भागलपुर, बांका
11	उप श्रमायुक्त, सहरसा	सहरसा, सुपौल, मधेपुरा
12	उप श्रमायुक्त, पूर्णियाँ	पूर्णियाँ, अररिया, कटिहार, किशनगंज
13	उप श्रमायुक्त, दरभंगा	दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर
14	उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण
15	उप श्रमायुक्त, छपरा	सारण, सीवान, गोपालगंज
16	सहायक श्रमायुक्त, पटना	पटना, नालन्दा, भोजपुर
17	सहायक श्रमायुक्त, डालमियानगर	रोहतास, कैमूर, बक्सर
18	सहायक श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, वैशाली
19	सहायक श्रमायुक्त, छपरा	सारण, सीवान, गोपालगंज
20	सहायक श्रमायुक्त, गया	गया, नवादा
21	सहायक श्रमायुक्त, दरभंगा	दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर
22	सहायक श्रमायुक्त, सहरसा	सहरसा, सुपौल, मधेपुरा
23	सहायक श्रमायुक्त, कटिहार	पूर्णियाँ, कटिहार, किशनगंज, अररिया
24	सहायक श्रमायुक्त, भागलपुर	भागलपुर, बांका
25	सहायक श्रमायुक्त, मुंगेर	मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई,
26	सहायक श्रमायुक्त, बेतिया	पश्चिमी चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर
27	सहायक श्रमायुक्त, बेगुसराय	खगड़िया, बेगुसराय
28	सहायक श्रमायुक्त, औरंगाबाद	औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल
29	श्रम अधीक्षक अधिनियम	पटना, गयाजी, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, पूर्णियाँ, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण
30	श्रम अधीक्षक	नालन्दा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर बक्सर, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, बेगूसराय, खगड़िया, बांका, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सीवान, गोपालगंज
31	सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक	अपने निर्धारित क्षेत्राधिकार की सीमाओं के अन्तर्गत **(केवल कारखानों के लिए एवं संहिता के अध्याय– IV को छोड़कर)**
32	सभी कारखाना निरीक्षक	अपने निर्धारित क्षेत्राधिकार की सीमाओं के अन्तर्गत **(केवल कारखानों के लिए एवं संहिता के अध्याय– IV को छोड़कर)**
33	सभी श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी	अपने निर्धारित क्षेत्राधिकार की सीमाओं के अन्तर्गत **(कारखानों एवं संहिता के अध्याय–IV को छोड़कर)**

2. सभी निरीक्षक–सह–सुकारक अपनी अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत संहिता के प्रावधानों के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

3. यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं० 01/Code onWages-10-01/2025–130/श्र०सं०)

बिहार–राज्यपाल के आदेश से

उपेन्द्र प्रसाद,

सरकार के विशेष सचिव।

21 जुलाई 2026

एस० ओ० 137, एस० ओ० 136 दिनांक 22 जुलाई 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/Code onWages-10-01/2025–131/श्र०सं०)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

The 21st July 2026

S. O. 136, dated 22nd July 2026— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 51 of the Code on Wages, 2019 (Act No. 29 of 2019), the Governor of Bihar is pleased to appoint for the purposes of the Code as **Inspector-cum-Facilitators** to exercise the powers conferred under sub-section (6) of Section 51 of the Code, in relation to such establishments situated within the areas specified in column (3) against the officers mentioned in column (2) of the Schedule given below, for which the State Government is the appropriate Government.

Table

Sr. No.	Officer	Jurisdiction
1	2	3
1	Labour Commissioner, Bihar	Whole Bihar
2	Additional Labour Commissioners	Whole Bihar
3	Joint Labour Commissioners	Whole Bihar
4	Chief Inspector of Factories, Bihar	Whole Bihar **(For factories only and except chapter IV of the Code)**
5	Deputy Labour Commissioner, Patna	Patna, Nalanda, Bhojpur, Rohtas, Kaimur, Buxar
6	Deputy Labour Commissioner, Gayaji	Gaya, Aurangabad, Jehanabad, Arwal, Nawada
7	Deputy Labour Commissioner, Munger	Munger, Lakhisarai, Shekhpura, Jamui
8	Deputy Labour Commissioner, Begusarai	Begusarai, Khagaria
9	Deputy Labour Commissioner, Bhagalpur	Bhagalpur, Banka
10	Deputy Labour Commissioner, Saharsa	Saharsa, Supaul, Madhepura
11	Deputy Labour Commissioner, Purnia	Purnia, Araria, Katihar, Kishanganj
12	Deputy Labour Commissioner, Darbhanga	Darbhanga, Madhubani, Samastipur
13	Deputy Labour Commissioner, Muzaffarpur	Muzaffarpur, Vaishali, Sitamarhi, Sheohar, East Champaran, West Champarna

Sr. No.	Officer	Jurisdiction
1	2	3
14	Deputy Labour Commissioner, Saran	Saran, Siwan, Gopalganj
15	Assistant Labour Commissioner, Patna	Patna, Nalanda, Bhojpur
16	Assistant Labour Commissioner, Dalmiyanagar	Rohtas, Kaimur, Buxar
17	Assistant Labour Commissioner, Muzaffarpur	Muzaffarpur, East Champaran, Vaishali
18	Assistant Labour Commissioner, Saran	Saran, Siwan, Gopalganj
19	Assistant Labour Commissioner, Gayaji	Gaya, Nawada
20	Assistant Labour Commissioner, Darbhanga	Darbhanga, Madhubani, Samastipur
21	Assistant Labour Commissioner, Saharsa	Saharsa, Supaul, Madhepura
22	Assistant Labour Commissioner, Katihar	Purnia, Araria, Katihar, Kishanganj
23	Assistant Labour Commissioner, Bhagalpur	Bhagalpur, Banka
24	Assistant Labour Commissioner, Munger	Munger, Lakhisarai, Shekhpura, Jamui
25	Assistant Labour Commissioner, Betia	West Champarn, Sitamarhi, Sheohar,
26	Assistant Labour Commissioner, Begusarai	Begusarai, Khagaria
27	Assistant Labour Commissioner, Aurangabad	Aurangabad, Jehanabad, Arwal,
28	Labour Superintendent Act	Patna, Gayaji, Munger, Bhagalpur, Saharsa, Purnia, Darbhanga, Muzaffarpur, Saran
29	Labour Superintendent	Nalanda, Bhojpur, Rohtas, Kaimur, Buxar, Aurangabad, Jehanabad, Arwal, Nawada, Lakhisarai, Sheikhpura, Jamui, Begusarai, Khagaria, Banka, Supaul, Madhepura, Araria, Katihar, Kishanganj, Madhubani, Samastipur, Vaishali, Sitamarhi, Sheohar, East Champaran, West Champaran, Siwan, Gopalganj
30	All Deputy Chief Inspector of Factories	within the limits of its jurisdiction **(For factories only and except chapter IV of the Code)**
31	All Inspector of Factories	within the limits of its jurisdiction **(For factories only and except chapter IV of the Code)**

Sr. No.	Officer	Jurisdiction
1	2	3
32	All Labour Enforcement Officer	within the limits of its jurisdiction **(Except factories and chapter IV of the Code)**

2. All Inspector-cum-Facilitators shall exercise their powers in accordance with the provisions of the Code within the local limits of their jurisdiction.
3. This notification will come into force from the date of its publication in the Bihar Gazette..

(No. 01/Code onWages-10-01/2025-130/ L.R.)
By The order of the Governor of Bihar,
Upendra Prasad,
***Special Secretary to the Government*.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 847-571+200-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1948 (श0)

(सं0 पटना 846) पटना, बुधवार, 22 जुलाई 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना

21 जुलाई 2026

एस० ओ० 134, दिनांक 22 जुलाई 2026—मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 45 की उपधारा 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल संहिता के प्रयोजनार्थ दावा पत्रों की सुनवाई एवं निर्धारण हेतु निम्न दी गयी सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लेखित पदाधिकारियों को उनके सामने स्तम्भ 3 विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित उन प्रतिष्ठानों के संबंध में जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है, के लिए प्राधिकार नियुक्त करते हैं।

क्रम संख्या	पदाधिकारी	क्षेत्राधिकार
1	2	3
1	सहायक श्रमायुक्त, पटना	पटना, नालन्दा, भोजपुर
2	सहायक श्रमायुक्त, डालमियानगर	रोहतास, कैमूर, बक्सर
3	सहायक श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, वैशाली
4	सहायक श्रमायुक्त, छपरा	सारण, सीवान, गोपालगंज
5	सहायक श्रमायुक्त, गया	गया, नवादा
6	सहायक श्रमायुक्त, दरभंगा	दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर
7	सहायक श्रमायुक्त, सहरसा	सहरसा, सुपौल, मधेपुरा
8	सहायक श्रमायुक्त, कटिहार	पूर्णियाँ, कटिहार, किशनगंज, अररिया
9	सहायक श्रमायुक्त, भागलपुर	भागलपुर, बांका
10	सहायक श्रमायुक्त, मुंगेर	मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई,
11	सहायक श्रमायुक्त, बेतिया	पश्चिमी चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर

क्रम संख्या	पदाधिकारी	क्षेत्राधिकार
1	2	3
12	सहायक श्रमायुक्त, बेगुसराय	खगड़िया, बेगुसराय
13	सहायक श्रमायुक्त, औरंगाबाद	औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल

2. सभी प्राधिकार अपनी अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत संहिता के प्रावधानों के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

3. यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं० 01/Code onWages-10-01/2025–128/श्र०सं०)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

---

21 जुलाई 2026

एस० ओ० 135, एस० ओ० 134 दिनांक 22 जुलाई 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/Code onWages-10-01/2025–129/श्र०सं०)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

The 21st July 2026

S. O. 134, dated 22nd July 2026— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 45 of the Code on Wages, 2019 (Act No. 29 of 2019), the Governor of Bihar is pleased to appoint the Authority for the purpose of hearing and deciding claims under the Code, in respect of establishments situated within the areas specified in column (3) against the officers mentioned in column (2) of the Schedule given below, for which the State Government is the appropriate Government.

Schedule

Sr. No.	Officer	Jurisdiction
1	**2**	**3**
1	Assistant Labour Commissioner, Patna	Patna, Nalanda, Bhojpur
2	Assistant Labour Commissioner, Dalmiyanagar	Rohtas, Kaimur, Buxar
3	Assistant Labour Commissioner, Muzaffarpur	Muzaffarpur, East Champaran, Vaishali
4	Assistant Labour Commissioner, Saran	Saran, Siwan, Gopalganj
5	Assistant Labour Commissioner, Gayaji	Gaya, Nawada
6	Assistant Labour Commissioner, Darbhanga	Darbhanga, Madhubani, Samastipur
7	Assistant Labour Commissioner, Saharsa	Saharsa, Supaul, Madhepura

Sr. No.	Officer	Jurisdiction
1	2	3
8	Assistant Labour Commissioner, Katihar	Purnia, Araria, Katihar, Kishanganj
9	Assistant Labour Commissioner, Bhagalpur	Bhagalpur, Banka
10	Assistant Labour Commissioner, Munger	Munger, Lakhisarai, Shekhpura, Jamui
11	Assistant Labour Commissioner, Betia	West Champaran, Sitamarhi, Sheohar,
12	Assistant Labour Commissioner, Begusarai	Begusarai, Khagaria
13	Assistant Labour Commissioner, Aurangabad	Aurangabad, Jehanabad, Arwal,

2. All authorities shall exercise their powers in accordance with the provisions of the Code within the local limits of their jurisdiction.
3. This notification will come into force from the date of its publication in the Bihar Gazette.

(No. 01/Code onWages-10-01/2025-128/ L.R.)
By The order of the Governor of Bihar,
Upendra Prasad,
***Special Secretary to the Government*.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 846-571+200-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1948 (श0)

(सं0 पटना 845) पटना, बुधवार, 22 जुलाई 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना

21 जुलाई 2026

एस० ओ० 132, दिनांक 22 जुलाई 2026— मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 56 की उपधारा 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल संहिता के प्रयोजनार्थ निम्न दी गयी सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लेखित पदाधिकारियों को उनके सामने स्तम्भ 3 विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित उन प्रतिष्ठानों के संबंध में जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है, के लिए शमन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

क्रम संख्या	पदाधिकारी	क्षेत्राधिकार
1	2	3
1	उप श्रमायुक्त, पटना	पटना, नालन्दा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर
2	उप श्रमायुक्त, गया	गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, नवादा
3	उप श्रमायुक्त, मुंगेर	मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई
4	उप श्रमायुक्त, बेगूसराय	बेगूसराय, खगड़िया,
5	उप श्रमायुक्त, भागलपुर	भागलपुर, बांका
6	उप श्रमायुक्त, सहरसा	सहरसा, सुपौल, मधेपुरा
7	उप श्रमायुक्त, पूर्णियाँ	पूर्णियाँ, अररिया, कटिहार, किशनगंज
8	उप श्रमायुक्त, दरभंगा	दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर
9	उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण
10	उप श्रमायुक्त, छपरा	सारण, सीवान, गोपालगंज

2. सभी शमन पदाधिकारी अपनी अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत संहिता के प्रावधानों के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

3. यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं० 01/Code onWages-10-01/2025–126/श्र०सं०)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

---

21 जुलाई 2026

एस० ओ० 133, एस० ओ० 132 दिनांक 22 जुलाई 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/Code onWages-10-01/2025–127/श्र०सं०)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

The 21st July 2026

S. O. 132, dated 22nd July 2026— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 56 of the Code on Wages, 2019 (Act No. 29 of 2019), the Governor of Bihar is pleased to appoint the officers specified in column (2) of the Schedule given below as Compounding Officers for the purposes of the Code, in respect of establishments situated within the areas specified in column (3) against them, for which the State Government is the appropriate Government.

Sr. No.	Officer	Jurisdiction
1	2	3
1	Deputy Labour Commissioner, Patna	Patna, Nalanda, Bhojpur, Rohtas, Kaimur, Buxar
2	Deputy Labour Commissioner, Gayaji	Gaya, Aurangabad, Jehanabad, Arwal, Nawada
3	Deputy Labour Commissioner, Munger	Munger, Lakhisarai, Shekhpura, Jamui
4	Deputy Labour Commissioner, Begusarai	Begusarai, Khagaria
5	Deputy Labour Commissioner, Bhagalpur	Bhagalpur, Banka
6	Deputy Labour Commissioner, Saharsa	Saharsa, Supaul, Madhepura
7	Deputy Labour Commissioner, Purnia	Purnia, Araria, Katihar, Kishanganj
8	Deputy Labour Commissioner, Darbhanga	Darbhanga, Madhubani, Samastipur
9	Deputy Labour Commissioner, Muzaffarpur	Muzaffarpur, Vaishali, Sitamarhi, Sheohar, East Champaran, West Champarna
10	Deputy Labour Commissioner, Saran	Saran, Siwan, Gopalganj

2. All Compounding Officers shall exercise their powers in accordance with the provisions of the Code within the local limits of their jurisdiction.
3. This notification will come into force from the date of its publication in the Bihar Gazette..

(No. 01/Code onWages-10-01/2025-126/ L.R.)
By The order of the Governor of Bihar,
Upendra Prasad,
***Special Secretary to the Government*.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 845-571+200-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1948 (श0)
(सं0 पटना 844) पटना, बुधवार, 22 जुलाई 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना
21 जुलाई 2026

एस० ओ० 130 दिनांक 22 जुलाई 2026—मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 31 की उपधारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल संहिता के प्रयोजनार्थ बोनस की मात्रा संबंधी विवाद के निस्तारण हेतु निम्न दी गयी सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लेखित पदाधिकारियों को उनके सामने स्तम्भ 3 विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित उन प्रतिष्ठानों के संबंध में जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है, के लिए प्राधिकार नियुक्त करते हैं।

क्रम संख्या	पदाधिकारी	क्षेत्राधिकार
1	2	3
1	उप श्रमायुक्त, पटना	पटना, नालन्दा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर
2	उप श्रमायुक्त, गया	गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, नवादा
3	उप श्रमायुक्त, मुंगेर	मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई
4	उप श्रमायुक्त, बेगूसराय	बेगूसराय, खगड़िया,
5	उप श्रमायुक्त, भागलपुर	भागलपुर, बांका
6	उप श्रमायुक्त, सहरसा	सहरसा, सुपौल, मधेपुरा
7	उप श्रमायुक्त, पूर्णियाँ	पूर्णियाँ, अररिया, कटिहार, किशनगंज
8	उप श्रमायुक्त, दरभंगा	दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर
9	उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण
10	उप श्रमायुक्त, छपरा	सारण, सीवान, गोपालगंज

2. सभी प्राधिकार अपनी अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत संहिता के प्रावधानों के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

3. यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं० 01/Code onWages-10-01/2025–124/श्र०सं०)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

---

21 जुलाई 2026

एस० ओ० 131 एस० ओ० 130 दिनांक 22 जुलाई 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/Code onWages-10-01/2025–125/श्र०सं०)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

The 21st July 2026

S. O. 130 dated 22nd July 2026—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 31 of the Code on Wages, 2019 (Act No. 29 of 2019), the Governor of Bihar is pleased to appoint the officers specified in column (2) of the Schedule given below as the Authority for the purpose of adjudicating disputes relating to the quantum of bonus under the Code, in respect of establishments situated within the areas specified in column (3) against them, for which the State Government is the appropriate Government.

Sr. No.	Officer	Jurisdiction
1	**2**	**3**
1	Deputy Labour Commissioner, Patna	Patna, Nalanda, Bhojpur, Rohtas, Kaimur, Buxar
2	Deputy Labour Commissioner, Gayaji	Gaya, Aurangabad, Jehanabad, Arwal, Nawada
3	Deputy Labour Commissioner, Munger	Munger, Lakhisarai, Shekhpura, Jamui
4	Deputy Labour Commissioner, Begusarai	Begusarai, Khagaria
5	Deputy Labour Commissioner, Bhagalpur	Bhagalpur, Banka
6	Deputy Labour Commissioner, Saharsa	Saharsa, Supaul, Madhepura
7	Deputy Labour Commissioner, Purnia	Purnia, Araria, Katihar, Kishanganj
8	Deputy Labour Commissioner, Darbhanga	Darbhanga, Madhubani, Samastipur
9	Deputy Labour Commissioner, Muzaffarpur	Muzaffarpur, Vaishali, Sitamarhi, Sheohar, East Champaran, West Champarna

Sr. No.	Officer	Jurisdiction
1	**2**	**3**
10	Deputy Labour Commissioner, Saran	Saran, Siwan, Gopalganj

2. All authorities shall exercise their powers within the local limits of their jurisdiction in accordance with the provisions of the Code.
3. This notification will come into force from the date of its publication in the Bihar Gazette.

(No. 01/Code onWages-10-01/2025-124/ L.R.)
By The order of the Governor of Bihar,
Upendra Prasad,
***Special Secretary to the Government*.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 844-571+200-डी०टी०पी०।
Website: https://egazette.bihar.gov.in